विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का क्रमांक 36) के अंतर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्रों का गठन, कार्य एवं दायित्व.

धारा 31. राज्य भार प्रेषण केन्द्रों का गठन :–

(1) राज्य सरकार इस भाग के तहत् शक्तियों के अनुप्रयोग करने और कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के रूप में जानने वाला कोई केन्द्र स्थापित करेगी।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किया जा सके, किसी राज्य अधिनियम के तहत् या द्वारा स्थापित या गठित, कोई शासकीय कंपनी या कोई प्राधिकरण या निगम द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह तब जबकि, जब तक राज्य सरकार द्वारा किसी शासकीय कंपनी या किसी प्राधिकरण या निगम को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक राज्य पारेषण उपयोगिता राज्य भार प्रेषण केन्द्र का संचालन करेगीः

परन्तु यह और कि, कोई भी राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत व्यापार के कार्य में लिप्त नहीं होगा।

धारा 32. राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कार्य :–

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य में विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिये शीर्ष निकाय होगा।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र :–

(क) उस राज्य में कार्य करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों या उत्पादन कंपनियों के साथ की गई संविदाओं के अनुसार, राज्य के भीतर विद्युत के अधिकतम सूचीकरण एवं प्रेषण के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ख) ग्रिड क्रिया–कलापों को मानिटर करेगा;

(ग) राज्य ग्रिड के माध्यम से पारेषण की गई विद्युत की मात्रा का हिसाब रखेगा;

(घ) राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली का अधीक्षण एवं नियंत्रण अनुप्रयोग करेगा; और

(ङ) ग्रिड मानकों और राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार राज्य ग्रिड के सुरक्षित एवं मितव्ययी क्रिया–कलापों के माध्यम से राज्य के भीतर ग्रिड नियंत्रण एवं विद्युत प्रेषण के लिए वास्तविक समय क्रियाओं को करने के लिये जिम्मेदार होगा।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य के भीतर विद्युत पारेषण में लिप्त उत्पादक कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों से, यथा राज्य आयोग द्वारा उल्लेखित किया जा सके, ऐसे शुल्क और प्रभार उद्ग्रहित एवं संग्रहित कर सकेगा।

धारा 33. निदेशों का अनुपालन :–

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य में ऐसे निदेश दे सकेगा और ऐसा अधीक्षण और नियंत्रण अनुप्रयोग कर सकेगा जैसे उस राज्य में विद्युत प्रणाली के संचालन में अधिकतम मितव्ययता एवं निपुणता अभिप्राप्त करने के लिये और एकीकृत ग्रिड कार्यों को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो सकेगा।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी, उत्पादन केन्द्र, उपकेन्द्र और विद्युत प्रणाली के संचालन के साथ संलग्न, कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के तहत् राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा निर्गमित निदेशों का अनुपालन करेंगें।

(3) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के निदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) यदि उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त किसी निदेश के बारे में या राज्य ग्रिड के सुरक्षित और एकीकृत संचालन, सुरक्षा या विद्युत की गुणवत्ता के बारे में कोई विवाद उठता है तो इसको निर्णय के लिये राज्य आयोग को निर्देशित किया जायेगा :

परन्तु यह तब जबकि, राज्य आयोग के निर्णय के लम्बान के दौरान, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निदेशों का अनुपालन अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी के द्वारा किया जायेगा।

(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के तहत् निर्गमित निदेशों के अनुपालन करने में इस प्रकार विफल होता है तो वह रूपये 5 लाख से अधिक नहीं देने वाली किसी शास्ति के लिये दायी होगा।

***